फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

[illegible]

6/20 [illegible]

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	का भी विभाजन किया जावे। [illegible] के मध्यनजर पुन: कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात दिनांक 17/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	तहरीर जारी 1273 26/9/25
17/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वास्ते कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
11/11/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश.................. अनुसार आगामी पेशी दिनांक 27/11/25 को पेश हो।	
27/11/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 01/12/25 को पेश हो।	
01/12/25	पत्रावली आज दिनांक 01/12/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/12/25 को पेश हो।	(कुर्रेजात प्राप्त)
24/12/25	पत्रावली आज दिनांक.................. को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/12/25 को पेश हो।	
29/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व. प. [illegible] तहसीलदार [illegible] से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त [illegible] पर सुनी गयी उभयपक्ष को [illegible]। बाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 6/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक –10.02.2020

छाजूराम पुत्र स्वर्गीय श्री नानगराम जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादू जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सुंदरी देवी पत्नी महादेव
3. सीताराम पुत्र पन्ना
4. प्रभाती पत्नी बीजाराम
5. रामनिवास पुत्र बीजाराम
6. सीताराम पुत्र बीजाराम
7. लालचंद पुत्र बीजाराम
8. मालीराम पुत्र रामेश्वर
9. कानाराम उर्फ रमेश पुत्र रामेश्वर
10. कैलाश पुत्र रामेश्वर
    समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. रूकमा पत्नी स्व0 भैरूराम
    समस्त जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. साहिल पुत्री गौरूराम जरिये संरक्षिका दादी रूकमा देवी
13. अनुराधा पुत्री गौरूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी रूकमा देवी
14. सोनिया पुत्र गौरूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी रूकमा देवी
15. सरोज पुत्र मालीराम
16. छीतरमल पुत्र मालीराम
    समस्त जाति खाती जांगिड निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. हनुमान पुत्र घीसा
18. सीताराम पुत्र घीसा
19. सुरेश पुत्र घीसा
20. घीसी पत्नी घीसा
    समस्त जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:59 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 29.12.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाद वाके राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 179/2 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 298 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 231 रकबा 0.10

हैक्टेयर, खसरा नंबर 232 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 215 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 216/495 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 90/561 रकबा 0.22 हैक्टेयर जयपुर में स्थित है उक्त आराजीयात में वादी अपने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की संपूर्ण आराजीयात में पूर्वाधिकारियों के समय से आज दिनांक तक कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। खसरा नंबर 179/2 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। खसरा नंबर 298 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त 1/4 हिस्सा खसरा नंबर 231, 232, 236, 237, 241, 242 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है खसरा नंबर 42, 90/561 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है तथा खसरा नंबर 215, 216/495 में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 निहित है वादी स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की आराजीयात पर कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग कर रहा है वादी का पिता नानगराम का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर उसके वारिसों द्वारा उक्त वाद पेश किया है, वादी के पिता की विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला गया है। इसलिए वादी के पिता व चाचा प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात में वर्णित खातेदार वादी का चाचा व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश उर्फ जग्गू वादी व उसके पिता के साथ ही रहता था वही उसकी देखभाल करता थां वादी का पिता का भ्राता जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र लादूराम सन् 1985 के माह से ही अर्द्ध विक्षिप्त अवस्था में पलायन कर गया था, एवं 34 साल से भी अधिक समय गुजर जाने की वजह से जगदीश प्रसाद की मृत्यु होने की कानूनी अवधारणा है एवं वादी के पिता के भ्राता जगदीश की मृत्यु की अवधारणा के पश्चात् वादी ही उसके संपूर्ण हिस्से की आराजीयात का खातेदारी का कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की अधिकारों की घोषणा व तकासमा के वाद का अधिकार है। वादी के हक व हिस्से की आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर समस्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 179/2 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। खसरा नंबर 298 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त 1/4 हिस्सा खसरा नंबर 231, 232, 236, 237, 241, 242 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार है खसरा नंबर 42, 90/561 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है तथा खसरा नंबर 215, 216/495 में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का विधिवत् रिकार्ड ऑफ राइट्स के अनुसार वादी के हक व हिस्से का विधिवत तकासमा किया जाकर वादी के मनपसंद बंटवारे में आई आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा किया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने वादपत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2072–2075 खाता संख्या 138 ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जमाबंदी संवत् 2072–75 खाता संख्या 141 ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जमाबंदी संवत 2073–75 खाता संख्या 62

ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर, जमाबंदी संवत 2073–75 खाता संख्या 140 ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर, जमाबंदी संवत 2073–75 खाता संख्या 66 ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर व नक्शा ट्रेस तथा प्रमाणित नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2006 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बउनवानी नानगराम बनाम बीज्याराम पेश किया गया।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब में वाद पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार है वादी का चाचा जगदीश उर्फ जगू काफी अरसे दराज से लापता है। जिसका अता पता नहीं है। वादी के पिता व वादी ने काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिल पाया है। काफी वर्ष हो गये उसकी विरासत में आई आराजी का उपयोग उपभोग वादी करता चला आ रहा है। इसलिए उक्त वादी में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा वादी के नाम कर दिया जाना चाहिये अब प्रतिवादी संख्या 1 के वापिस आने की कोई संभावना नहीं है। वादी एवं उत्तरदाता खसरा नंबर 215, 216/495 में 1/2 हिस्सा खसरा नंबर 231, 232, 236, 237, 241, 242 कुल किता 8 कुल रकबा 0.75 में 3/4 हिस्सा निहित है उसी अनुसार कब्ज काश्त में होकर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त खसरा नंबर में कब्जे काश्त अनुसार तकासमा होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग खाता कायम कराया जाना प्रार्थनीय है। उत्तरदाता मनबंट अनुसार कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए तकासमा करवाने हेतु तैयार है। खसरा नंबर 298, 215, 216/495, 231, 232, 236, 237, 241, 242 में निहित हिस्सेनुसार कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए तकासमा किया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादी संख्या 21 तहसीलदार आमेर की तरफ से बिंदूवार रिपोर्ट पेश की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पुत्र लादू जाति बागडा ब्राहमण के संबंध में पटवारी हल्का जयसिंहपुरा द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा के मौके पर पहुँचकर जाँच की गई जिसके बताये अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगभग –लगभग 35–36 वर्षो से लापता है तथा इसका किसी से कोई संपर्क नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब पेश होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। वादी ने गवाह साक्ष्य शपथ पत्र छाजूराम पुत्र स्व. नानगराम जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर PW-1 छाजूराम पुत्र स्व. श्री नानगराम जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर, PW-2 हरिनारायण पुत्र स्व0 भैरूराम जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर, PW-3 हनुमानसहाय पुत्र बंशी जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर प्रदर्शित करवाया। प्रतिवादीगण ने सहमति जवाबदावे के आधार पर जिरह नहीं की तथा गवाह साक्ष्य भी पेश नही किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व बहस का अवलोकन किया। सुसंगत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। वादी ने वाद घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत प्रस्तुत किया गया है। वादी स्वयं तथा

प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की आराजीयात पर कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग कर रहा है वादी का पिता नानगराम का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर उसके वारिसों द्वारा उक्त वाद पेश किया है, वादी के पिता की विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला गया है। उक्त आराजीयात में वर्णित खातेदार वादी का चाचा व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश उर्फ जग्गू वादी व उसके पिता के साथ ही रहता था वही उसकी देखभाल करता थां। जो कि प्रदर्श–1, प्रदर्श – 5 तथा गवाहो PW-1, PW-2, PW-3 के बयानो से साबित है। वादी का पिता का भ्राता जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र लादूराम 35–40 वर्षों से लापता है, जो कि प्रदर्श – 5 तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता व प्रतिवादीगण के नाम होने के संबंध में उक्त भूमि की जमाबंदियां एवं उक्त भूमि नक्शा प्रस्तुत किये गये है। जिनमें जमाबंदियां प्रदर्श 1 व 2 है। प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वयं सहित तीन गवाहों, पी.डब्ल्यू 2 हरिनारायण पुत्र स्व0 भैरूराम एवं पी.डब्ल्यू 3 हनुमानसहाय पुत्र बंशी की साक्ष्य करवाई गई तथा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश प्रसाद के कई वर्षो से लापता होने के संबंध में वादी ने ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा शेखावतान का प्रमाण पत्र, तहसीलदार आमेर की मौका रिपोट प्रदर्श–5 एवं आम सूचना जरिये राष्ट्रीयकृत अखबार दैनिक भास्कर दिनांक 04.06.2024 प्रदर्श–6 पेश किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने अपील संख्या 194/2014 दिनांक 27.02.2006 के निर्णय में माना है कि जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र लादूराम कई वर्षो से लापता है। तथा अधिक समय गुजर जाने की वजह से जगदीश प्रसाद की मृत्यु की होने की कानूनी अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत अपील संख्या 194/2014 दिनांक 27.02.2006 स्वीकार की गई है। जो कि वादी ने प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवाया है। इस प्रकार वादी ने अपने वाद में यह बखूबी साबित किया गया है कि जगदीश पुत्र लादू लगभग 35–36 वर्षों से लापता है लगदीश अविवाहित व नाऔलाद था अतः उसके हिस्से की वादग्रस्त भूमि का विधिक हकदार वादी है एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी को वादग्रस्त संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। यदि जगदीश प्रसाद अथवा उसका जाईन्दा वारिस वापस लौटकर आता है तो पुनः अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार खसरा नंबर 179/2 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। खसरा नंबर 298 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त 1/4 हिस्सा खसरा नंबर 231, 232, 236, 237, 241, 242 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 भाग खातेदार काश्तकार है खसरा नंबर 42, 90/561 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है तथा खसरा नम्बर 215, 216/495 में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 में वादी के पिता के भ्राता जगदीश प्रसाद की मृत्यु की अवधारणा मानते हुये वादी को प्रतिवादी एक के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा समस्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 179/2 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। खसरा नंबर 298 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त 1/4 हिस्सा खसरा नंबर 231, 232, 236, 237, 241, 242 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार है खसरा नंबर 42, 90/561 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है तथा खसरा नंबर 215, 216/495 में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का विधिवत् रिकार्ड ऑफ राईट्स के अनुसार उभयपक्ष के हिस्से का विधिवत वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार जालसू, जिला जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कर राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुए उक्त आराजी का घोषणा को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर घोषणा अनुसार विधि सम्मत तकासमा कर, जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार, उभयपक्ष की उपस्थिति में, उनको नोटिस देकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर तीन–तीन प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें। प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

तहसीलदार जालसू ने पुनः अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/5387 दिनांक 11.12.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की प्रस्तुत तर्को के आधार पर वाद तद्नुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. छाजूराम पुत्र नानगराम हिस्सा– 1/2 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, नानगा पुत्र लादू हिस्सा– 1/2 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 179/2 रकबा 0.29 है., 298/1 रकबा 0.2175 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5075 है. भूमि रहेगी।
2. ऑची देवी पत्नि श्रवण लाल बागड़ा हिस्सा–1/96 जाति – बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामपूरा डाबड़ी, कैलाश चंद पुत्र रामेश्वर का हिस्सा– 1/64 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, जगदीश प्रसाद पुत्र भैंरूराम हिस्सा – 1/96 जाति – बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, जगदीश प्रसाद पुत्र मोतीराम हि.– 1/16 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, जोधाराम पुत्र झूथाराम हि. – 1/32 जाति – बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, प्रभाती देव पत्नी बिजा पिता बींजा, हिस्सा– 1/64, जाति– बागड़ा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, प्रभातीदेवी पत्नी बींजाराम का हिस्सा– 3/8 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र सोहनलाल हिस्सा – [illegible] जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, बिदामी पुत्री बींजा हिस्सा– [illegible] ब्राह्मण सा. देह खातेदार, भंवरलाल पुत्र भैंरूराम हिस्सा – 1/96 जाति [illegible] देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, माली राम पुत्र रामेश्वर हिस्सा– 1/64 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, मोतीराम पुत्र झुंथाराम हिस्सा – 1/32 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू, रमेशचंद पुत्र रामेश्वर का हिस्सा– 1/64 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, रामनिवास, बिज्जा का पुत्र, हिस्सा– 1/64, जाति– बागड़ा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, रामस्वरूप पुत्र बिज्जा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ़ जयपुर

हिस्सा – 1/64, जाति – बागडा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र मोतीराम हि. – 1/16 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, सीताराम पुत्र बिरजा, हिस्सा 1/64, जाति–बागड़ा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, छाजूराम पुत्र नानगराम हिस्सा – 1/8 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, नानगा पुत्र लादू हिस्सा– 1/8 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 42 रकबा 1.68 है., खसरा नंबर 90/561 रकबा 0.22 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है. भूमि रहेगी।

3. छाजूराम पुत्र नानगराम जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 236 रकबा 0.16 है., 215/1 रकबा 0.02 है., 216/495/2 रकबा 0.0266 है., 237/1 रकबा 0.0275 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.2341 है. भूमि रहेगी।

4. नाबालिग अनुराधा पुत्री गौरुराम उर्फ गौरीशंकर सरंक्षक सरपरस्त दादी रुकमादेवी हिस्सा– 1/216 जाति– खाती सा. देह खातेदार, कन्हैया लाल पुत्र मालीराम हिस्सा – 1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, कालूराम पुत्र भैरुराम हिस्सा– 1/72 जाति–खाती सा. देह खातेदार, गिरधारी लाल पुत्र मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, छितर मल पुत्र मालीराम हिस्सा– 1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, दीपक जांगिड़ पुत्र मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, प्रभातीदेवी पत्नि बींजाराम हिस्सा – 4/9 जाति – बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, बबली जांगिड़ पुत्री मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, बीजाराम पुत्र गोमाराम हिस्सा – 7/40 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, रुकमादेवी पत्नि भैरुराम हिस्सा – 1/72 जाति– खाती सा. देह खातेदार, सुन्दरीदेवी पत्नि महादेव हिस्सा – 1/16 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, सरोज देवी पत्नि मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, साहिल पुत्र गौरुरामउर्फगौरीशंकर हिस्सा–1/216 जाति– खाती सा. देह खातेदार, पन्ना के पुत्र सीताराम का हिस्सा – 1/80 जाति–बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, सीमा जांगिड़ पुत्री मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, नाबालिग सोनिया पुत्री गौरुराम उर्फ गौरीशंकर सरंक्षक सरपरस्त माता रुकमादेवी हिस्सा – 1/216 जाति– खाती सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 298/2 रकबा 0.6525 है. भूमि रहेगी।

5. सुरेशकुमार पुत्र घीसा हिस्सा– 1/3 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, सीताराम पुत्र घीसा हिस्सा– 1/3 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, हनुमानसहाय पुत्र घीसा हिस्सा– 1/3 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 216/495/1 रकबा 0.0934 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

6. सुंदरी देवी पत्नी महोदव जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 231 रकबा 0.10 है., 232 रकबा 0.10 है., 215/2 रकबा 0.14 है., 237/2 रकबा 0.1125

है., 241 रकबा 0.11 है., 242 रकबा 0.14 है. कुल किता 6 कुल रकबा 0.7025 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष कों मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी

आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 6/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक –10.02.2020

छाजूराम पुत्र स्वर्गीय श्री नानगराम जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर। ....वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादू जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सुंदरी देवी पत्नी महादेव
3. सीताराम पुत्र पन्ना
4. प्रभाती पत्नी बीजाराम
5. रामनिवास पुत्र बीजाराम
6. सीताराम पुत्र बीजाराम
7. लालचंद पुत्र बीजाराम
8. मालीराम पुत्र रामेश्वर
9. कानाराम उर्फ रमेश पुत्र रामेश्वर
10. कैलाश पुत्र रामेश्वर
    समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. रूकमा पत्नी स्व0 भैरूराम
    समस्त जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. साहिल पुत्री गौरूराम जरिये संरक्षिका दादी रूकमा देवी
13. अनुराधा पुत्री गौरूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी रूकमा देवी
14. सोनिया पुत्र गौरूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी रूकमा देवी
15. सरोज पुत्र मालीराम
16. छीतरमल पुत्र मालीराम
    समस्त जाति खाती जांगिड निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. हनुमान पुत्र घीसा
18. सीताराम पुत्र घीसा
19. सुरेश पुत्र घीसा
20. घीसी पत्नी घीसा
    समस्त जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला [illegible]

................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:59 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर आमेर क्र. जयपुर

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. छाजूराम पुत्र नानगराम हिस्सा– 1/2 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, नानगा पुत्र लादू हिस्सा– 1/2 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर

179/2 रकबा 0.29 है., 298/1 रकबा 0.2175 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5075 है. भूमि रहेगी।

2. ऑची देवी पत्नि श्रवण लाल बागड़ा हिस्सा–1/96 जाति – बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामपूरा डाबड़ी, कैलाश चंद पुत्र रामेश्वर का हिस्सा– 1/64 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, जगदीश प्रसाद पुत्र भैंरूराम हिस्सा – 1/96 जाति – बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, जगदीश प्रसाद पुत्र मोतीराम हि.– 1/16 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, जोधाराम पुत्र झूथाराम हि. – 1/32 जाति – बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, प्रभाती देव पत्नी बिजा पिता बींजा, हिस्सा– 1/64, जाति– बागड़ा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, प्रभातीदेवी पत्नी बींजाराम का हिस्सा– 3/8 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र सोहनलाल हिस्सा – 1/32 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, बिदामी पुत्री बींजा हिस्सा– 1/64 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, भंवरलाल पुत्र भैंरूराम हिस्सा – 1/96 जाति – बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, माली राम पुत्र रामेश्वर हिस्सा– 1/64 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, मोतीराम पुत्र झुंथाराम हिस्सा – 1/32 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू, रमेशचंद पुत्र रामेश्वर का हिस्सा– 1/64 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, रामनिवास, बिरजा का पुत्र, हिस्सा– 1/64, जाति– बागडा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, रामस्वरूप पुत्र बिरजा, हिस्सा – 1/64, जाति – बागडा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र मोतीराम हि. – 1/16 जाति– बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, सीताराम पुत्र बिरजा, हिस्सा 1/64, जाति–बागड़ा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, छाजूराम पुत्र नानगराम हिस्सा – 1/8 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, नानगा पुत्र लादू हिस्सा– 1/8 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 42 रकबा 1.68 है., खसरा नंबर 90/561 रकबा 0.22 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है. भूमि रहेगी।

3. छाजूराम पुत्र नानगराम जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 236 रकबा 0.16 है., 215/1 रकबा 0.02 है., 216/495/2 रकबा 0.0266 है., 237/1 रकबा 0.0275 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.2341 है. भूमि रहेगी।

4. नाबालिग अनुराधा पुत्री गौरुराम जरिये संरक्षक [illegible] दादी रुकमादेवी हिस्सा– 1/216 जाति– खाती सा. देह खातेदार, [illegible] मालीराम हिस्सा – 1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, [illegible] 1/72 जाति–खाती सा. देह खातेदार, गिरधारी लाल पुत्र मालीराम हिस्सा 1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, छितर मल पुत्र मालीराम हिस्सा– 1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, दीपक जांगिड़ पुत्र मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, प्रभातीदेवी पत्नि बींजाराम हिस्सा – 4/9 जाति – बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, बबली जांगिड़ पुत्री मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, बीजाराम पुत्र गोमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

हिस्सा – 7/40 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, रुकमादेवी पत्नि भैरुराम हिस्सा – 1/72 जाति– खाती सा. देह खातेदार, सुन्दरीदेवी पत्नि महादेव हिस्सा – 1/16 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, सरोज देवी पत्नि मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, साहिल पुत्र गौरुरामउर्फगौरीशंकर हिस्सा–1/216 जाति– खाती सा. देह खातेदार, पन्ना के पुत्र सीताराम का हिस्सा – 1/80 जाति–बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, सीमा जांगिड़ पुत्री मालीराम हिस्सा–1/504 जाति– खाती सा. देह खातेदार, नाबालिग सोनिया पुत्री गौरुराम उर्फ गौरीशंकर सरंक्षक सरपरस्त माता रुकमादेवी हिस्सा – 1/216 जाति– खाती सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 298/2 रकबा 0.6525 है. भूमि रहेगी।

5 सुरेशकुमार पुत्र घीसा हिस्सा– 1/3 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, सीताराम पुत्र घीसा हिस्सा– 1/3 जाति–बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार, हनुमानसहाय पुत्र घीसा हिस्सा– 1/3 जाति– बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 216/495/1 रकबा 0.0934 है. भूमि रहेगी।

6 सुंदरी देवी पत्नी महोदव जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 231 रकबा 0.10 है., 232 रकबा 0.10 है., 215/2 रकबा 0.14 है., 237/2 रकबा 0.1125 है., 241 रकबा 0.11 है., 242 रकबा 0.14 है. कुल किता 6 कुल रकबा 0.7025 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.12.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:59 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		[illegible]	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर